(ख) यदि हां, तो इस अनियमितता को रोकने के लिए क्या प्रयत्न किए जा जा रहे हैं ; और

(ग) क्या व्यापारियों को उर्वरक लाने ले जाने पर कम हुए उर्वरक के लिए छूट दी जाती है और यदि हां, तो कितनी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) . किसानों को वजन में कम और पोषक तत्वों में अपर्याप्त उर्वरकों के विक्रय के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1957 के अनुसार थैलों पर उर्वरकों की विशिष्टताओं तथा वजन का उल्लेख करना पड़ता है। इसके संबंध में किसी प्रकार के उल्लंघन से राज्य सरकारें निपटेंगी (उन्हें ऐसे अपराधों के खिलाफ दण्डनीय कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया है ; कम वजन देना भी वजन और मात्रा अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों के पास पर्याप्त अधिकार हैं।

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश में घटिया दर्जे के उर्वरकों का निपटारा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है और इसके लिए विस्तृत विधि भी निर्धारित की गई है। सामान्यतः ऐसा उर्वरक ग्रेन्युलेशन और मिश्रण एककों को बेचा जाता है। इन उर्वरकों का मूल्य उनके पोषक तत्वों के आधार पर किया जाता है।

(ग) वितरक, किसानों को निश्चित विशिष्टताओं और वजन के उर्वरकों का सम्भरण करेंगे। तथापि "वितरण मार्जन" में परिवहन के दौरान हुई कमी के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है जैसे यूरिया के मामले में परिवहन के दौरान होने वाली कमी को पूरा करने के लिए 874 रुपए प्रति टन की गुंजाइश छोड़ी गई है।

आलू तथा दालों की नई किस्म

1119. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 में आलू तथा दालों की कौन सी नई किस्में जारी की गई हैं और कौन सी जारी किए जाने से पूर्व की स्थिति में हैं; और

(ख) इनके जारी करने की क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) यद्यपि वर्ष 1976-77 के दौरान आलू की कोई भी किस्म जारी नहीं की गयी है, दालों के मामले में, चने की एल 550 किस्म, मूग की एम० एल० एम० 9 किस्म तथा लोबिया की सी० 152 किस्म जून 1977 में जारी की गयी है।

आलू की सं० एस एल बी जेड-405 ए, किस्म, जिसका अस्थायी नाम कुफरी नव ज्योत है और सं० जी 2524, जिसका अस्थायी नाम कुफरी नवतेज दिया गया है और दालों में चने की एच० 208, जी 130, जे जी 625 व उन्नीगेरी किस्में, मसूर की पंत 209 व पंत 406 किस्म तथा मटर की ई सी 33866 व एल 116 किस्मों की सिफारिश सम्बद्ध कार्य शिविरों (वर्क शाप्स) द्वारा कर दी गई है और अब वे पूर्व-मोचन (प्रिरिलीज) की स्थिति में है।

(ख) परीक्षण प्लाटों पर, अनेक मौसमों में की गयी जांचों के आधार पर आशाजनक किस्मों की शिनाख्त सम्बद्ध फसलों के कार्यशिविरों

(वर्क शाप्स) द्वारा की जाती है। यदि कोई कार्यशिविर एक किस्म की सिफारिश करता है तो इस को, जांच के लिए अनेक स्थानों पर राज्यों के कृषि विभागों के फार्मों तथा किसानों के खेतों के लिए दे दिया जाता है। इस प्रकार के परीक्षणों के परिणामों को कार्य शिविरों के आंकड़ों के साथ कृषि मंत्रालय की किस्मों को जारी करने की केन्द्रीय उपसमिति के समक्ष जारी करने के निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

Plan to scrap of orders regarding Government servants own houses

1120. SHRI R. V. SWAMINATHAN: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the present Government are planning to scrap orders requiring Government servants owning house at the place of duty to surrender Government accommodation;

(b) if so, the reasons for the same;

(c) how many such Government servants have surrendered their houses to the Government or surrendered the Government accommodation;

(d) whether some Government servants have been given exemption; and

(e) if so, how many persons and in what categories?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) and (b). In consideration of the difficulties and hardships faced by house owning officers, particularly in the low income brackets. Government have decided to modify the existing house owning orders, making house-owning officials eligible for Government accommodation on normal terms, subject to certain conditions.

(c) In Delhi, private houses of 111 officers have been taken in the general pool on lease by Government and 2753 house-owning officers have vacated Government accommodation.

(d). Yes, Sir.

(e) 40 officers allotted houses from the general pool in Delhi have been granted exemption because the houses owned by them are parts of Hindu Undivided Family properties/joint properties which are small and cannot be divided into independent livable units. In two other cases, exemption has been allowed because of the special nature of the officers' duty.

Request from Tamil Nadu and Kerala for more rice

1121. SHRI R. V. SWAMINATHAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether States of Tamil Nadu and Kerala have demanded supply of more rice from the centre during the month of April, and May;

(b) if so, the reaction of the Union Government;

(c) what is the total rice supplied by the Centre to these States upto-date; and

(d) what was the total demand made?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) to (d). A statement showing the demands received for supply of rice from the Governments of Tamil Nadu and Kerala, the allotments of rice made by the Central Government against these demands and the actual supplies against these allotments is attached.